

No. 2(25)/2004-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, 15th December, 2011.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:-Re-imbusement of rent to Government servants during their stay in State Bhavans/Guest Houses run by State Governments/Autonomous Organizations, etc.

The undersigned is directed to invite reference to this Ministry's O.M. No. 2(39)/94-E.II(B) dated 27.10.1994 and subsequent O.M. of even number dated 19.08.2004 on the subject mentioned above. It has been represented to this Ministry that the officials, who are posted to the Centre and temporarily stay in State Bhavans/Guest Houses run by the State Govts./autonomous organizations, face hardship due to non-reimbursement of the amount of the rent paid by them equal to 10% of their basic pay.

2. The matter has been considered and it has been decided that, in supersession of the instructions as contained in the O.Ms. referred to above, the officials who are posted to the Centre and temporarily stay in State Bhavans/Guest Houses run by the State Govts./autonomous organizations, may be reimbursed the amount of rent paid by them or the HRA admissible to them, whichever is less, subject to fulfilment of the following conditions:


- (a) the official has applied for accommodation of his entitlement, subject to exception of cities as specified in para 4(a)(ii) of O.M. No.2(37)-E.II(B)/64 dated 27.11.1965 as amended from time to time but has not been allotted residential accommodation by the Government;
- (b) the concerned Guest House should be located at the place of posting of the official; and
- (c) the official must have stayed in State Bhavans/Guest Houses run by the State Govt./autonomous organization and submit rent receipts in support of payment of rent.

3. The amount paid as rent in excess of admissible HRA, if any, will have to be borne by the official concerned on his own.

4. These orders shall be effective from the date of issue.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

6. Hindi version is attached.



(Anil Sharma)

Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to C&AG and U.P.S.C., etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2011

कार्यालय जापन

विषय: राज्य सरकारों/स्वायत्त संगठनों आदि द्वारा चलाए जाने वाले राजभवनों/अतिथि- गृहों में अपने प्रवास के दौरान सरकारी कर्मचारियों को किराए की प्रतिपूर्ति।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 27.10.1994 के का.जा.सं. 2(39)/94-संस्था II (ख) और दिनांक 19.08.2004 के समसंख्यक अनुवर्ती का.जा. का हवाला देने का निदेश हुआ है। इस मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि वे अधिकारी, जो केन्द्र में तैनात होते हैं और जो राज्य सरकारों/स्वायत्त संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले राजभवनों/अतिथि - गृहों में अस्थायी तौर पर ठहरते हैं, उन्हें अपने मूल वेतन की 10 प्रतिशत राशि के बराबर अदा किए गए किराए की प्रतिपूर्ति न होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

2. इस मामले पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय जापनों में निहित अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उन अधिकारियों को जो केन्द्र में तैनात हैं और राज्य सरकारों/स्वायत्त संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले राजभवनों/अतिथि-गृहों में अस्थायी तौर पर ठहरते हैं उन्हें उनके द्वारा अदा किए गए किराए की राशि अथवा उनके लिए ग्राह्य मकान किराया भत्ता, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाए, बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:

- (क) अधिकारी ने अपनी पात्रता के अनुसार आवास के लिए आवेदन किया हो, जो समय-समय पर यथा संशोधित का.जा. सं. 2(37)-संस्था-II (ख)/64, दिनांक 27.11.1965 के पैरा 4 (क) (ii) में यथाविनिर्दिष्ट शहरों को छोड़कर है, लेकिन सरकार द्वारा रिहायशी आवास आबंटित नहीं किया गया हो;
- (ख) संबंधित अतिथि-गृह अधिकारी के तैनाती स्थल पर होना चाहिए; और
- (ग) अधिकारी राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन द्वारा चलाए जाने वाले राजभवनों/अतिथि-गृहों में ठहरा हो और किराए के भुगतान के समर्थन में किराए की रसीद प्रस्तुत की हो।

3. स्वीकार्य एच.आर.ए. से अधिक किराए के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी द्वारा स्वयं वहन की जानी होगी।

4. ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

31-2/11

(अनिल शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।